ए.

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम.

सुरेंद्र सिंह और हमारा। (2023 की सिविल अपील संख्या 1548) 11 अप्रैल, 2023

बी.

[अभय एस**.** ओका और राजेश बिंदल**,** जे**.** जे**.]**

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013:धारा 24 (2)-भूमि अधिग्रहण, जब समाप्त हो गया माना जाता है-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही-रिट याचिकाएं यू/एस।24(2) यह दावा करते हुए कि 1894 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण समाप्त हो गया था क्योंकि न तो कब्जा लिया गया था और न ही उसके लिए मुआवजे का भुगतान किया गया था-पुणे नगर निगम के मामले पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालयों ने कहा कि अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था-अपील पर कहा गया:इंदौर विकास प्राधिकरण में संविधान पीठ का फैसला

सी.

डी.

पुणे नगर निगम के मामले को खारिज करने वाले मामले में कहा गया कि

अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेने या भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान करने जैसी शर्तों में से किसी एक की संतुष्टि अधिग्रहण को समाप्त होने से बचाने के लिए पर्याप्त होगी।24(2) – तथ्यों के आधार पर, भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था, क्योंकि इस तरह की एक शर्त पूरी की गई थी-इसे देखते हुए, कोई चूक नहीं मानी गई है और अधिग्रहण कायम है-उच्च न्यायालय का आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार कर दिया गया है-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894।

ई.

एफ.

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य,

(2020) 8 एस**.** सी**.** सी**. 129-**अनुसरण किया गया।

दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार बनाम मानव धर्म ट्रस्ट और

एक और (2017) 6 एससीसी 751:[2017] 4 एससीआर 232; पुणे

जी.

नगर निगम और एक अन्य बनाम हरकचंद

मिसिरीमल सोलंकी और अन्य। (2014) 3 एससीसी 183:[2014] 1

एससीआर **783;** शिव कुमार बनाम भारत संघ **(2019) 10**

एस**.** सी**.** सी**. 229-**संदर्भित।

एच.

345

346 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 3 एस. सी. आर.

ए.

मामला कानून संदर्भ

[2017] 4 एससीआर **232**

संदर्भित

पैरा **3,12,14**

[2014] 1 एससीआर **783**

संदर्भित

पैरा **3,6,8,12,13,15**

(2019) 10 एस**.** सी**.** सी**. 229** निर्दिष्ट पैरा **14 (2020) 8** एस**.** सी**.** सी**. 129** के बाद पैरा **19** आया।

बी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील सं. 1548।

2015 के डब्ल्यू. पी. सी. सं. 9603 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.10.2018 के निर्णय और आदेश से।

सी.

के साथ

2023 की सिविल अपील Nos.1572,1549 और 1547।मिश्रा सौरभ, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

राजेश बिंदल**,** जे।

1. यह आदेश कई अपीलों का निपटारा करेगा क्योंकि इसमें कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।मामलों के तथ्यों पर अलग से ध्यान दिया गया है।

ई.

तथ्यः

सिविल अपील सं। **2023** का **1548**

(दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुरेंद्र सिंह और हमारा**)**

एफ.

2. जैसा कि अनुरोध किया गया था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 4 के तहत अधिसूचना 21.03.2003 पर जारी की गई थी जिसमें दिल्ली में रोहिणी आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने की मांग की गई थी। 19.3.2004 पर, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी।भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 12.7.2005 पर अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का आकलन करते हुए अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार की घोषणा की।भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास 80,40,76,004/- की क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई थी।

जी.

₹

3. भूमि ए में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) का आह्वान करते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी।

एच.

347

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुरेंद्र सिंह और हमारा। [राजेश बिंदल, जे।] ए.

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (संक्षेप में "2013 अधिनियम") यह दावा करता है कि विचाराधीन अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि न तो कब्जा लिया गया है और न ही इसके लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है।उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का निश्चित रुख यह था कि भूमि का कब्जा 31.08.2005 पर लिया गया था और दिल्ली के नियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था।रिट याचिकाकर्ताओं का हक विवाद में था।इस वजह से उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा सका।इसे भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास जमा किया गया था।उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने के बाद

बी.

एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम। मानव धर्म ट्रस्ट और दूसरे का

(2017) 6 एस. सी. सी. 751 ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता के पास रिट याचिका दायर करने का अधिकार है, हालांकि वह अभिलिखित मालिक नहीं है।यह आगे इस पर निर्भर करता है कि

सी.

पुणे नगर निगम और एक अन्य बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य में इस न्यायालय का निर्णय। (2014) 3 एस. सी. सी 183 और आयोजित

कि अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि भूमि मालिकों को मुआवजा नहीं दिया गया था। हालाँकि, भूमि के स्वामित्व के मुद्दे को खुला छोड़ दिया गया था।

सिविल अपील सं। **2023** का **1572**

डी.

(दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राम सिंह और हमारा।**)**

4. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 23.09.1989 पर जारी की गई थी, जिसमें दिल्ली के नियोजित विकास के उद्देश्य से गाँव घोंडा गुजरान खादर, शाहदरा, दिल्ली की राजस्व संपदा में स्थित भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया गया था।अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 20.06.1990 पर जारी की गई थी और पुरस्कार संख्या। 8/92-93 की घोषणा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा 19.06.1992 पर की गई थी।

ई.

एफ.

5. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) को लागू करते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि विचाराधीन अधिग्रहण समाप्त हो

गया है क्योंकि न तो कब्जा लिया गया है और न ही इसके लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है।उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का रुख था कि भूमि का कब्जा 21.03.2007 पर लिया गया था और दिल्ली के नियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था।भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा दावा नहीं किया था।

जी.

6. उच्च न्यायालय ने पुणे नगर निगम के मामले **(**उपरोक्त**)** में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि भूमि मालिकों को मुआवजा नहीं दिया गया था।

एच.

सिविल अपील सं। **2023** का **1549 (**जीओवीटी। एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली और ए**.** एन**.** आर**.** बनाम ज्ञान चंद और हमारा।**)**

7. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दिल्ली के तुगलकाबाद गाँव की राजस्व संपदा में स्थित भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 25.01.1965 पर जारी की गई थी।इसके बाद 13.02.1969 पर अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की गई।इसके लिए संख्या 50-ए/1969-70 वाले पुरस्कार की घोषणा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा 04.11.1981 पर की गई थी।

बी.

8. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) को लागू करते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि विचाराधीन अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि न तो कब्जा लिया गया है और न ही इसके लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है।उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का रुख था कि भूमि का कब्जा 23.11.1981 पर लिया गया था और दिल्ली के नियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था।भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा दावा नहीं किया था।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि मुआवजे से संबंधित पूरा रिकॉर्ड पुराना होने के कारण पता नहीं चल रहा था।

सी.

डी.

9. उच्च न्यायालय ने पुणे नगर निगम के मामले **(**उपरोक्त**)** में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि भूमि मालिकों को मुआवजा नहीं दिया गया था।

ई.

सिविल अपील सं। **2023** का **1547**

(दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम वीना जैन और हमारा।**)**

एफ.

10. मामले के तथ्यों से जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से नई दिल्ली के गाँव मदन पुर खादर की राजस्व संपदा में स्थित 1 बीघा 1 बिसवा मापने वाले खसरा में याचिकाकर्ता की भूमि सहित भूमि का बड़ा हिस्सा दिल्ली के नियोजित विकास के लिए अधिग्रहित करने की मांग की गई थी।इसके बाद अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की गई। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर/संग्रह (डी. एस.) द्वारा 19.06.1992 पर पुरस्कार की घोषणा की गई थी।

जी.

11. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) को लागू करते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि विचाराधीन अधिग्रहण ए को समाप्त कर दिया है।

एच.

349

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुरेंद्र सिंह और हमारा। [राजेश बिंदल, जे।] ए.

क्योंकि न तो कब्जा लिया गया है और न ही इसके लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का रुख था कि भूमि का कब्जा 03.12.2012 पर लिया गया था और दिल्ली के नियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था।विभिन्न मालिकों के बीच विभाजन के विवाद के कारण अधिनियम की धारा 30-31 के तहत मुआवजा संदर्भ न्यायालय को भेजा गया था।12. उच्च न्यायालय इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करता है

बी.

मानव धर्म ट्रस्ट और दूसरे के मामले (ऊपर) ने माना कि

याचिकाकर्ता के पास रिट याचिका दायर करने का अधिकार है, हालांकि वह अभिलिखित मालिक नहीं है।उच्च न्यायालय ने आगे पुणे नगर निगम के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि भूमि मालिकों को मुआवजा नहीं दिया गया था।विषय भूमि के स्वामित्व के सवाल को उपयुक्त मंच द्वारा तय करने के लिए खुला छोड़ दिया गया था।

सी.

सलाहकारों द्वारा उठाए गए तर्कः

डी.

13. अपीलार्थीगण की ओर से पेश विद्वान वकीलों द्वारा उठाए गए तर्क यह हैं कि संविधान पीठ के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य में न्यायालय

(2020) 8 एस. सी. सी. 129 जिसके तहत पुणे नगर निगम और अन्य के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के पहले के फैसले को खारिज कर दिया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त दीवानी अपीलों में पारित आदेशों को दरकिनार किया जाना चाहिए।संविधान पीठ द्वारा यह राय दी गई थी कि दो शर्तों में से किसी एक का अनुपालन यानी भूमि का कब्जा लेना या मुआवजे का भुगतान, अधिग्रहण को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।अभिलेख पर उपलब्ध निर्विवाद तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सभी मामलों में, अधिग्रहण पूरा होने और पुरस्कारों की घोषणा के बाद विवादित भूमि का कब्जा ले लिया गया था।

ई.

एफ.

14. सिविल अपील सं. 2023 की सिविल अपील सं. 1547 और 1548 में उठाई गई अतिरिक्त दलीलें सिविल अपील सं. 1547/2023 यह हैं कि मानव धर्म ट्रस्ट और दूसरे के मामले (उपरोक्त) में फैसले को इस अदालत ने खारिज कर दिया था।

शिव कुमार बनाम भारत संघ, (2019) 10 में बाद के निर्णय में

जी.

एस. सी. सी. 229 और उपरोक्त दीवानी अपीलें विचारणीय नहीं हैं।15. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क यह हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की तारीख पर मौजूद कानून के आधार पर निर्णय की गई रिट याचिकाओं को इसके बाद के फैसले के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है।

एच.

अदालत।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पुणे नगर निगम के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) की व्याख्या के अनुसार मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई।यह तथ्य की बात है जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में देखी गई है कि भूमि का कब्जा पहले ही संबंधित प्राधिकरण द्वारा ले लिया गया था।

बी.

16. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

उद्देश्यः

17. इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने राय दी थी कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेना या भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान करना 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के संदर्भ में अधिग्रहण को समाप्त होने से बचाने के लिए पर्याप्त होगा। इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का भी उत्तर दिया गया।प्रासंगिक पैरा-सं। 362 और 366 नीचे निकाले गए हैंः

सी.

डी.

“362. नतीजतन, पुणे नगर निगम और अन्र (ऊपर) में दिए गए निर्णय को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है और अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम (ऊपर) का पालन किया गया है, उन्हें भी खारिज कर दिया जाता है।...

ई.

.....

....

366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैंः

एफ.

366.1.धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही में कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

जी.

366.2.यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित किया गया है, तो कार्यवाही 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के तहत प्रदान किए गए अनुसार जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

एच.

351

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुरेंद्र सिंह और हमारा। [राजेश बिंदल, जे।] ए.

ए.

366.3.कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मानित समाप्ति तब होती है जब उक्त अधिनियम के शुरू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है।दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है।इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

बी.

सी.

(जोर दिया गया**)**

366.4.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में अदालत में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है।जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में प्रदान किया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है।क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की

कार्यवाही समाप्त नहीं होती है।पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न करने के मामले में, 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है।

डी.

ई.

एफ.

366.5.यदि किसी व्यक्ति को 1894 अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या अदालत में मुआवजे को जमा न करने के कारण धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण समाप्त हो गया है।भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के तहत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है।जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गई थी।

जी.

एच.

366.6.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में।366.7.1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के तहत विचार किया गया है, शव का पंचनामा रिपोर्ट/ज्ञापन तैयार करना है।एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के तहत कोई चूक नहीं होती है।

बी.

366.8.धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने के अपने कदम के कारण संबंधित प्राधिकरण के पास लंबित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में विफल रहे हों।अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।

सी.

डी.

366.9.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है।धारा 24 2013 अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि पर लंबित कार्यवाही पर लागू होती है अर्थात 1-1-2014।यह पुराने और समय-बाधित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए अदालत के बजाय राजकोष में कार्यवाही या मुआवजे के जमा करने के तरीके को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देता है।"

ई.

एफ.

18. यह अभिलेख पर निर्विवाद तथ्य है, जैसा कि उपरोक्त दीवानी अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों में देखा गया है, भूमि का कब्जा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा ले लिया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था।इसलिए, शर्तों में से एक को पूरा करने के लिए, हमें किसी अन्य तर्क की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

जी.

19. उपरोक्त तथ्य और इंदौर विकास प्राधिकरण के ए मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए

एच.

353

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुरेंद्र सिंह और हमारा। [राजेश बिंदल, जे।]

मामला (ऊपर), हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है और उन्हें तदनुसार दरकिनार कर दिया जाता है।अपीलों की अनुमति है।उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने का आदेश दिया जाता है।

बी.

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः श्रद्धा सिंह, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.